58/298 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर A2/1

...ल सूचना अधिकार संख्या 58/2018 अनवानी विनोद कुमार पुत्र श्री मूलराम जाति स्वामी साकिन ...जपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान बनाम श्रीमान लोक सूचना अधिकारी एवंम उपखण्ड अधिकारी महोदय, कार्यालय सूरतगढ़

31–10–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विनोद्व कुमार उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किय तो पाया कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 03.07.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ को प्रस्तुत कर उनसे निम्न 2 बिन्दुओं पर सूचनाऐं चाही थी जो उसे निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं करवाइ गई है और न ही उसे कोई जवाब दिया गया है इसलिए अपीलार्थी द्वारा अपने अपील पत्र में यह प्रार्थना की गई है कि उसे वाछिंत सूचनाऐं निशुल्कः उपलब्ध करवाई जावे और अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी से क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलावाया जावे।

अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 03.07.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. बाधोदेवी बैवाह मलूराम, पवन कुमार, दीनदयाल, विनोद कुमार, राजबाला, रेणू के नाम से पूर्व 1955 की आरजी कास्तकारी भूमि खातेदारी प्राप्त करने हेतु आवेदन फाइल की मूल प्रति की फोटो प्रमाणित प्रति महिया करावे

2. सूचनार्थ हेतु दिनांक 23–08–2016 को राजस्व अधिकारी कार्यालय से प्रषित कमांक 5828 दर्ज है जिसकी मूल प्रति प्रेषित कंमाक सहित महिया करावे

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा अपील के संदर्भ में अपने प्रतिवेदन पत्र दिनांक 14.09.2018 द्वारा इस कार्यालय को निम्न प्रकार से उत्तर प्रस्तुत किया है।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी विनोद कुमार स्वामी साकिन राजपुरा पीपेरन द्वारा प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार के तहत दिनांक 04.07.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर दो बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना चाही गई थी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थी द्वारा चाही गई पत्रावली की तलाश की गई। प्रार्थी ने बाधूदेवी आदि व स्वयं द्वारा वर्ष 2016 में प्रस्तुत पूर्व 55 की आरजी काश्तकारी भूमि पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही जाने पर प्रार्थी को जरिये पत्र सं. 2880 दिनांक 18.07.2018 को सूचित किया गया था कि पत्रावली तलाश की जा रही है तथा पत्रावली उपलब्ध होने पर आपको प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावेगी। प्रार्थी को समयावधि में सूचित कर दिया गया था। पत्रावली तलाश की जा रही है। प्रार्थी की पत्रावली उपलब्ध होते ही प्रार्थी को तुरन्त प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवा दी जावेगी। कृपया अपील प्रार्थी निरस्त फरमाई जाने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्नः– अभिलेख पेज–दो

उपखण्ड अधिकारी

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रतिवेदन 14.09.2018 में अकिंत पत्र कंमाक 2880 दिनांक 18.07.2018 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से चाही गई सूचनाओं कें सम्बन्ध में उत्तर दिया गया है।

> **आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया जाकर बाधोदेवी आदि द्वारा प्रस्तुत पूर्व 55 पत्रावली की फोटो प्रमाणित प्रति चाही गई है। इस सम्बन्ध में आपको लिखा जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत पूर्व 55 पत्रावली कार्यालय में तलाश की जा रही है। पत्रावली उपलब्ध होने पर आपको प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावेगी।**

चूकिं अपीलार्थी को वांछित सूचनाऐं सम्बधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड के उपलब्ध न होने के कारण उपलब्ध नहीं करवाई गयी है जबकि कार्यालय के अभिलेख को सुरक्षित रखना कार्यालय के सम्बधित अधिकारी का ही दायित्व है इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वांछित सूचनाओं से सम्बधित अभिलेख तलाश कर आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर–भीतर वांछित सूचनाऐं अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे और यदि अभिलेख तलाश करने पर उपलब्ध न हो तो ऐसी दशा में उतरदायी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार एफ0 आई0 आर0 दर्ज करवाई जावें। आदेश की प्रति सम्बधित लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को भिजवाई जावें और आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावें।पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर